



JPSC

राज्य सिविल सेवा

झारखण्ड लोक सेवा आयोग (JPSC)

भाग - 2

झारखण्ड सामान्य ज्ञान



क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	झारखण्ड का भूगोल एवं पर्यावरण	1
2.	झारखण्ड की सिंचाई प्रणाली	11
3.	झारखण्ड के वन प्रदेश	13
4.	झारखण्ड के पर्व त्यौहार, मेले	19
5.	झारखण्ड की कला एवं संस्कृति, जनजातियाँ	32
6.	झारखण्ड का इतिहास	56
7.	प्राचीन काल में झारखण्ड	60
8.	झारखण्ड के क्षेत्रीय राजवंश	69
9.	झारखण्ड में जनजातीय विद्रोह	77
10.	झारखण्ड में राष्ट्रीय आंदोलन	87
11.	झारखण्ड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएँ	102
12.	झारखण्ड की अर्थव्यवस्था एवं जनसंख्या	112
13.	झारखण्ड में भूमि सुधार से संबंधित कानून	116
14.	झारखण्ड की प्रमुख नीतियाँ	126
15.	केन्द्र सरकार की विभिन्न जन कल्याण कारी योजनाएँ	140

झारखण्ड का भूगोल एवं पर्यावरण

झारखण्ड का भौगोलिक परिचय

- झारखण्ड राज्य का भौगोलिक विस्तार $21^{\circ}58'1$ से $25^{\circ}19'15$ उत्तरी अक्षांश तथा $83^{\circ}19'50$ से $87^{\circ}57$ पूर्वी देशांतर के मध्य है।
- यह राज्य विश्व के मानचित्र पर उत्तरी गोलार्द्ध में अवस्थित है।
- इस राज्य का निर्माण एकीकृत बिहार के 46% भूभाग को अलग करके किया गया था।
- देश के पूर्वी भाग में स्थित झारखण्ड भारत का 28वां राज्य है।
- राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े तथा छोटे जिले हैं।
- खूंटी तथा लोहरदगा ही ऐसे जिले हैं जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं।

झारखण्ड की भूगर्भिक संरचना

1. शार्कियनकालीन चट्टानें

- झारखण्ड की चट्टानी संरचनाओं में यह सर्वप्रथम है जिसका विस्तार झारखण्ड के 90% भू-भाग पर है।
- इन चट्टानों में शार्कियन, अवशादी तथा रूपान्तरित तीनों प्रकार की चट्टानें मौजूद हैं तथा छोटानागपुर पठार की, शार्कियन, अवशादी तथा रूपान्तरित चट्टानों का संबंध इसी काल की चट्टानों से है।
- इन चट्टानों को शार्कियन क्रम व धारवाड क्रम की चट्टानों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

शार्कियन क्रम

- ये गर्म व तरल लावा के जमाव से निर्मित ग्रेनाइट चट्टान हैं, जो जीवाश्म रहित हैं।
- इनमें रूपान्तरण के पश्चात् ये चट्टानें नीस व शिस्ट में परिवर्तित हो गई हैं।

धारवाड क्रम

- इन चट्टानों का विकास शार्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण के परिणामस्वरूप हुआ है।
- ये चट्टानें भी जीवाश्म रहित हैं।
- इन चट्टानों में लौह-अयस्क की प्रचुर उपलब्धता के कारण इन्हें लौह-अयस्क की श्रृंखला कहा जाता है।

2. विन्ध्यन क्रम की चट्टानें

- अवशादी में जमाव से निर्मित ये चट्टानें बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से युक्त क्वैटिज परतदार चट्टानें हैं।
- पारशनाथ पहाड़ी का उत्थान भी इसी काल में हुआ है।

गोंडवाना क्रम की चट्टानें

- इन चट्टानों का निर्माण दामोदर घाटी के तलछट से हुआ है।
- आर्थिक दृष्टिकोण से ये चट्टाने अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

शिरोजोड़क क्रम

- इस काल में हिमालय के उत्थान के दौरान इसका प्रभाव छोटानागपुर पठारी क्षेत्र पर भी पडा।
- हिमालय के उत्थान व उसके प्रभाव को तीन भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसका विवरण निम्नवत है।

पहला उत्थान

- हिमालय के प्रथम उत्थान का संबंध मायोसीन काल से है।
- इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुयी।

दूसरा उत्थान

- इस उत्थान का संबंध क्रिटम प्लायोसीन काल से है।
- इस दौरान भी छोटानागपुर पठारी क्षेत्र में भूगर्भिक हलचल हुयी।

तीसरा उत्थान

- इस उत्थान का संबंध प्लीस्टोसीन काल से है।
- इन अपरदनो के पश्चात् इस क्षेत्र की वर्तमान ऊँचाई इस प्रकार है:-
पाट क्षेत्र - 900 से 1100 मीटर
राँची पठारी - 600 मीटर से कम
निम्न छोटानागपुर का पठार - 300 मीटर से अधिक

➤ राजमहल ट्रैप तथा दक्कन लावा की चट्टाने

- इसकी ऊँचाई 900 से 1100 मीटर तक है।

➤ नवीनतम जलोढ निक्षेप:-

- नदियों के अपरदन व जलोढी के निक्षेपण के परिणामस्वरूप इसका निर्माण हुआ है, जो वर्तमान में भी जारी है।
- इनके द्वारा मैदानी क्षेत्र में निक्षेपण के परिणाम स्वरूप कई स्थानों पर ब्रेनाइट के उच्च भू-भाग का निर्माण हो गया है। जिसे मोनेडार्क कहते हैं।

अन्य तथ्य

- राज्य की अधिकांश चट्टानों का विस्तार पूर्व-पश्चिम दिशा में है।
- झांखण्ड में धारावाड क्रम की चट्टानों का विकास कोल्हान पहाडी क्षेत्र में हुआ। इन चट्टानों को लौह अयस्क की श्रृंखला भी कहा जाता है।

झारखण्ड का धरातलीय स्वरूप

- झारखण्ड के धरातलीय स्वरूप के निर्माण में छोटानागपुर पठारी क्षेत्र का सर्वप्रथम योगदान है। यह पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर-पूर्वी भाग है। इसका विस्तार उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं तक है।
- छोटानागपुर पठार की औसत ऊँचाई 760 मी. है तथा इसकी सबसे ऊँची चोटी सम्मेल शिखर (पारशनाथ पहाड़ी) है। जिसकी ऊँचाई 1,365 मी. (4478 फीट) है। यह झारखण्ड की भी सबसे ऊँची चोटी है।

झारखण्ड के धरातलीय स्वरूप का विभाजन

1. पाट क्षेत्र (पश्चिमी पठार)

- पाट का अर्थ समतल जमीन होता है। पारशनाथ के अतिरिक्त यह झारखण्ड का सबसे ऊँचा भाग है।
- इस क्षेत्र का ऊपरी भाग टांड तथा नीचला भाग दोन कहलाता है।
- झारखण्ड के तीन सबसे ऊँचे पाट नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट तथा जनीश पाट है।
- तश्तरीनुमा बाखे का मैदान झारखण्ड के पाट क्षेत्र का हिस्सा है।

2. राँची का पठार

- राँची का पठार झारखण्ड का सबसे बड़ा पठारी भाग है।
- यह समुद्रतल से औसतन 600 मीटर की ऊँचाई वाला क्षेत्र है।

3. हजारी बाग का पठार

(अ) ऊपरी हजारीबाग का पठार

- इसका विस्तार राँची पठार के समानान्तर हजारीबाग जिले में है।
- इस पठार की समुद्रतल से औसत ऊँचाई 600 मीटर है।

(ब) निचला हजारीबाग का पठार

- छोटानागपुर के बाहरी हिस्से में अवस्थित होने के कारण इसे बाह्य पठार भी कहा जाता है।
- यह क्षेत्र समुद्रतल से 450 मी. ऊँचा है। यह झारखण्ड में सबसे कम ऊँचाई वाला पठार है।
- यह अत्यंत कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से निर्मित है।

4. राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र

- यह अशमान नदी घाटियों एवं मैदानी क्षेत्रों से मिलकर निर्मित हुआ है।
- यह पठारी क्षेत्र समुद्रतल से औसतन 150-300 मीटर ऊँचा है।
- इस क्षेत्र में स्थित राजमहल की पहाड़ी बिहार के कैमूर पहाड़ी क्षेत्र तक विस्तृत है।
- इसके दक्षिण में अजय नदी घाटी मौजूद है।

झारखण्ड में क्षपवाह प्रणाली


- वर्षा के जल एवं क्षम्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था क्षपवाह प्रणाली के नाम से जानी जाती है ।
- जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के ऋनुसार राज्य का 1.59 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जलीय स्त्रोतों द्वारा ऋच्छादित है, जो राज्य के कुल भूभाग का लगभग 2% है ।

झारखण्ड में नदियाँ


- सोन नदी के ऋतिरिक्त झारखण्ड की सभी नदियाँ बरशाती है, जो जल के लिए मानसून पर निर्भर है । ये गर्मी के महीने में सूख जाती है ।
- झारखण्ड की नदियों को प्रवाह की दिशा के ऋनुसार उत्तरवर्ती एवं पूरबवर्ती/दक्षिणवर्ती नदियों में विभाजित किया जा सकता है ।



झारखण्ड में खनिज संसाधन



- झारखण्ड खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है ।
- झारखण्ड को भारत का 'ऊँ' कहा जाता है ।
- देश के कुल खनिज का लगभग 40% खनिज झारखण्ड राज्य में पाया जाता है ।
- विभिन्न खनिजों के भंडार की दृष्टि से झारखण्ड का देश में स्थान इस प्रकार है -
पहला स्थान - कोयला (कोयला उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान) प्राइम कोकिंग कोल मध्यम कोकिंग कोल पन्ना, रॉक फॉस्फेट
तीसरा स्थान - ग्रेनाइट, बेंटोनाइट, गैर-कोकिंग
चौथा स्थान - फायरक्ले, एश्बेस्टॉस, कार्बोनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट (ग्रेफाइट उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान)



पांचवा स्थान - वामीकुलाइट

छठा स्थान - चाइनाक्ले, क्षयक, क्वार्ट्ज

सातवां स्थान - फेल्सपार, क्वार्ट्जाइट, गार्नेट

- वित्तीय वर्ष 2017 - 18 में राज्य में कुल 2070.39 करोड़ रुपये मूल्य के खनिज संसाधनों का उत्पादन किया गया है।
इंडियन मिनेरल बुक के अनुसार चकमक पत्थर का एकमात्र उत्पादक राज्य झारखण्ड है।

झारखण्ड में धात्विक खनिज

(A) लौह धात्विक खनिज

1. लौह क्षयक

- सिंहभूम क्षेत्र, लौह क्षयक की प्राप्ति का प्रमुख केन्द्र है जिसका विस्तार उडीसा के मयूरभुज एवं क्योड़ोर तक है।
- यह विश्व का सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र है।
- देश के कुल लौह क्षयक भंडार का लगभग 26 प्रतिशत झारखण्ड राज्य में निक्षेपित है।
- झारखण्ड में उपलब्ध कुल क्षयक का 99 प्रतिशत हेमेटाइट वर्ग का लौह क्षयक है।
- राज्य में हेमेटाइट लौह क्षयक भंडार के पूर्वी सिंहभूम पलामू, हजारीबाग तथा लातेहार जिले में हैं।

2. क्रोमाइट

- झारखण्ड में क्रोमाइट का संकेन्द्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र है।
- राज्य में लगभग 7,36,000 टन क्रोमाइट का भंडार मौजूद है।

3. मैंगनीज

- झारखण्ड में मैंगनीज क्षयक का संकेन्द्रण मुख्यतः सिंहभूम क्षेत्र में है।
- राज्य में लगभग 13.7 मिलियन टन मैंगनीज का भंडार उपलब्ध है।
- यह धातु चट्टानों से प्राप्त होता है।

4. जस्ता

- यह संधाल परगना, हजारीबाग, पलामू, रांची एवं सिंहभूम जिले में पाया जाता है।

5. टिन

- यह क्षामेय चट्टानों में उपलब्ध कैसिटाइट नामक कच्चे धातु से प्राप्त होता है।
- झारखण्ड के हजारीबाग रांची, सिंहभूम, संधाल परगना तथा पलामू में यह पाया जाता है

6. लौहा

- राज्य के सिंहभूम क्षेत्र की चट्टानों में लौहा अलग मात्रा में पाया जाता है ।
- झारखण्ड में इसका उत्पादन मुख्यतः हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड द्वारा किया जाता है ।
- इंडियन मिनरल इयरबुक (2018-19) के अनुसार कर्नाटक के बाद देश में लौहे का सर्वाधिक उत्पादन झारखण्ड राज्य में होता है ।

(B) अलौह धात्विक खनिज

1. तांबा

- तांबा के उत्पादन की दृष्टि से झारखण्ड भारत का अग्रणी राज्य है ।
- देश के कुल तांबा भंडार का 18.5 प्रतिशत झारखण्ड राज्य में निक्षेपित है ।
- तांबा का उपयोग बिजली के उपकरणों धातु मिश्रण आदि में किया जाता है ।

2. बॉक्साइट

- झारखण्ड में उच्च कोटि का बॉक्साइट पाया जाता है । जिसमें 52 प्रतिशत से 55 प्रतिशत तक एल्यूमिनियम होता है ।
- झारखण्ड के मुरी नामक स्थान पर बॉक्साइट को गलाने का संयंत्र है ।

3. टंगस्टन

- इसका उपयोग बिजली के उपकरण बनाने तथा लौह धातु के निर्माण में किया जाता है ।

झारखण्ड में अधात्विक खनिज

1. अशक

- झारखण्ड राज्य में प्रचुर मात्रा में अशक की उपलब्धता है ।
- कोडरमा को 'भारत की अशक राजधानी कहा जाता है ।

2. कायनाइट

- झारखण्ड में कायनाइट का सबसे बड़ा भंडार पूर्वी सिंहभूम के लिपलाबुरु क्षेत्र में है । इसके अतिरिक्त पश्चिमी, सिंहभूम व शशाकेला-खरशावां जिलों में भी इसके भंडार हैं ।

3. ग्रेफाइट

- यह पलामू में सर्वाधिक पाया जाता है । इसके अतिरिक्त लातेहार व गठना में भी ग्रेफाइट पाया जाता है ।
- यह कार्बन का एक रूप है, जिसे काला लौहा भी कहा जाता है ।

4. चूना पत्थर

- यह हजारीबाग, राँची, पलामू, बोकारो, धनबाद, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, लातेहार, पूर्वी सिंहभूम व पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है।

5. डोलोमाइट

- पलामू जिला के डाल्टनगंज (मेदिनीनगर) व गढ़वा में डोलोमाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

6. एश्बेस्टस

- यह एक रेशेदार खनिज है जो धातुवाहक क्रम की चट्टानों में पाया जाता है।
- यह छत बनाने के काम में प्रयुक्त होता है।

7. बैटोनाइट

- यह एक एलुमिनियम सिलिकेट मिट्टी है जिसका ज्वालामुखी में राख ले होता है।
- इसे क्राम भाषा में मुल्तानी मिट्टी भी कहा जाता है।

8. सोपस्टोन क्वार्ट्ज

- यह झारखण्ड के सम्पूर्ण छोटानागपुर क्षेत्र के साथ-साथ कुछ अन्य जिलों में भी उपलब्ध है।

झारखण्ड में ऊर्जा खनिज

कोयला

- झारखण्ड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य है।
- ऊर्जा सांख्यिकी 2020 के अनुसार देश का लगभग 25.88 कोयला (31 मार्च 2019) की स्थिति के अनुसार झारखण्ड राज्य में पाया जाता है।
- इंडियन मिनरल इन्डस्ट्रिक (2018-19) के अनुसार झारखण्ड राज्य में देश के कुल कोयला उत्पादन का 18.25 प्रतिशत उत्पादित किया गया है।
- राज्य के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 95 प्रतिशत दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में होता है।
- झरिया क्षेत्र भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अंतर्गत आता है।
- झरिया पूरे झारखण्ड के कोयला उत्पादन का 60 प्रतिशत कोयला उत्पादन करता है।
- झारखण्ड में कोयले के तीन प्रकार (कोकिंग ऊर्ध्व कोकिंग तथा गैर-कोकिंग) पाया जाता है।
- झरिया परियोजना
- राजमहल परियोजना

प्राइम कोकिंग कोल

- झारखण्ड राज्य देश में प्राइम कोकिंग कोल का एकमात्र उत्पादक है।
- झारखण्ड में प्राइम कोकिंग कोल का भंडार लगभग 5313 मिलियन टन है, जो देश के कुल कोकिंग कोल का लगभग 100% है।

यूरेनियम

- यह एक क्षारिक खनिज है।
- भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन (लगभग -शत-प्रतिशत) झारखण्ड राज्य में ही किया जाता है।

थोरियम

- यह एक क्षारिक खनिज है।
- झारखण्ड के रांची पठार और धनबाद में इसका उत्तम विस्तार है।

इल्मेनाइट

- यह एक क्षारिक खनिज है।
- यह रांची में पाया जाता है।
- देश के कुल इल्मेनाइट का 0.12 प्रतिशत झारखण्ड राज्य में उपलब्ध है।

बोरिलियम

- यह बेरिल नामक खनिज प्रस्तर से प्राप्त होता है।
- झारखण्ड के कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में बोरिलियम पाया जाता है।

जिश्कन

- इसकी प्राप्ति झारखण्ड में रांची तथा हजारीबाग जिले से होती है।

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड

- राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के विकास एवं उनके समुचित उपयोग के उद्देश्य से झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड गठन किया गया है।
- झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों पर कई परियोजना की स्थापना की गयी है। जिसका विवरण है -

झारखण्ड की कृषि

- झारखण्ड की कुल भूमि के मात्र 23% भाग पर कृषि कार्य किया जाता है।
- बजट 2019-20 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या का 75% कृषि क्षेत्र में कार्यरत है।
- वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार झारखण्ड में 38 हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है। जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 47.69% है।
- झारखण्ड में मुख्यतः तीन फसलों, धान, गेहूँ तथा मक्का की खेती की जाती है। धान झारखण्ड की सर्वप्रमुख फसल है मक्का यहां की दूसरी प्रमुख फसल है।
- राज्य में सिंचाई का सर्वप्रमुख स्रोत कुआँ है।
- राज्य में लगभग 14.79% परती भूमि पायी जाती है।

खरीफ फसल

- मानसून के आगमन के समय अर्थात् जून- जुलाई में इन फसलों की बुआई की जाती है तथा मानसून की समाप्ति पर अर्थात् सितम्बर - अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है।
- प्रमुख खरीफ फसल धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि है।
- झारखण्ड आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार राज्य में वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना फसल में खरीफ के उत्पादन में कमी दर्ज की गयी है।

रबी फसल

- रबी फसल को ठंडे मौसम की फसल या वैशाखी फसल भी कहा जाता है।
- रबी फसल अक्टूबर- नवम्बर में बोयी जाती है। तथा मार्च में काट ली जाती है।
- गेहूँ, जौ, चना, तिलहन आदि प्रमुख रबी फसलें हैं।

झारखण्ड की प्रमुख फसलें

फसल का नाम - धान/चावल

प्रमुख उत्पादन क्षेत्र - सिंहभूम, राँची, गुमला, दुमका

महत्वपूर्ण बातें - यह झारखण्ड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल है तथा राज्य की सर्व प्रमुख खाद्य फसल है।

झारखण्ड में खाद्य सुरक्षा

- झारखण्ड आर्थिक समीक्षा 2019-20 के अनुसार राज्य में वर्तमान समय में कुल 375 गोदाम कार्यरत हैं, जिनकी कुल भंडारण क्षमता 1.61 लाख मीट्रिक टन है।
- राज्य में सर्वाधिक गोदाम गढ़वा (30) गिरिडीह (28) तथा पलामू (27) में है।
- राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर राँची जिले में है।

झारखण्ड की सिंचाई प्रणाली

- झारखण्ड राज्य में कुल सिंचित भूमि का 12.77% भाग है।
- राज्य की कुल सिंचित भूमि को 58.32% भाग जल के द्वारा जबकि 41.07% भाग भूमिगत जल के द्वारा सिंचित है।
- राज्य में कुल सिंचित भूमि का 58% भाग सतही जल द्वारा और 42% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित होता है।
- सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता वाले जिले - गोड्डा, साहेबगंज, दुमका, गुमला
- सिंचाई की उच्च आवश्यकता वाले जिले - देवघर, रांची, लोहरदगा एवं पश्चिमी सिंहभूम
- सिंचाई की मध्यम आवश्यकता वाले जिले - गढ़वा, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह
- सिंचाई की निम्न आवश्यकता वाले जिले - चतरा, बोकारो, धनबाद, एवं पूर्वी सिंहभूम

झारखण्ड में सिंचाई परियोजनाएं

वृहद् सिंचाई परियोजना

- 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र से अधिक सिंचाई व्यवस्था वाले परियोजना को वृहद् सिंचाई परियोजना कहते हैं।
- झारखण्ड राज्य में संचालित प्रमुख वृहद् सिंचाई परियोजनाएं।

मध्यम सिंचाई परियोजना

- 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की परियोजना को मध्यम सिंचाई परियोजना कहते हैं।
- राज्य में 600 से अधिक मध्यम सिंचाई परियोजनाएं चल रही हैं।

लघु सिंचाई परियोजना

- 2000 हेक्टेयर क्षेत्र से कम में सिंचाई की व्यवस्था वाली परियोजना को लघु सिंचाई परियोजना कहते हैं।
- राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी क्षेत्र उद्ग्रह सिंचाई निगम लिमिटेड के मध्यम से विभिन्न लघु सिंचाई परियोजना चलाई जा रही हैं।

बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना

- वैश्वी परियोजनाएं जो एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए निर्मित की जाती हैं उन्हें बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है।
- परियोजनाओं के अंतर्गत नदियों पर बांध बनाकर सिंचाई के साथ-साथ बाढ़ नियंत्रण जल विद्युत उत्पादन मत्स्यन आदि कार्य संपन्न किया जाता है।


झारखण्ड में बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाएँ

दामोदर नदी घाटी परियोजना

- यह भारत की पहली बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना जिसे 1948 ई. में प्रारंभ किया गया।
- यह झारखण्ड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है।
- इस परियोजना के संचालन हेतु 7 जुलाई, 1948 ई. को दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है।
- इस परियोजना के 8 बड़े बाँध हैं -
तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पोत, झर्यर, बेमो, बोकारी एवं कोनार
- इस परियोजना से 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है।

स्वर्णरेखा नदी परियोजना

- 1982-83 ई. में प्रारंभ यह झारखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा की संयुक्त परियोजना है।
- यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से चलायी जा रही है।



झारखण्ड में वन प्रदेश

1. उष्णकटिबंधीय श्रादि पर्णपाती वन प्रदेश

- 120 सेमी. से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में श्रादि पतझड़ वन पाये जाते हैं। इसी कारण ऐसे क्षेत्र को श्रादि पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है ये सामग्रीय मौसम से प्रभावित जलवायु क्षेत्र है। जहाँ अधिक वर्षा होती है।
- राज्य के 2.66% भू-भाग उष्णकटिबंधीय श्रादि पर्णपाती वन प्रदेश अंतर्गत आते हैं।

2. उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश

- 120 सेमी. से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क पतझड़ वनों का विकास हुआ है इसी कारण ऐसे क्षेत्र को शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश कहा जाता है।
- राज्य के 93.25% भू-भाग, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन प्रदेश मुख्य के अंतर्गत आते हैं।

मुख्य वनोत्पाद

शाल/सखुआ

- अत्यंत कठोर होने के कारण शाल की लकड़ी का प्रयोग इमारती लकड़ियाँ फर्नीचर बनाने, रेल के डिब्बे पटरियों के स्लैब श्रादि के निर्माण के लिए किया जाता है।
- यह झारखण्ड का राजकीय वृक्ष है।

शीशम

- अत्यंत मजबूत होने के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है।

महुआ

- यह झारखण्ड का सर्वाधिक उपयोगी वृक्ष है, क्योंकि इसकी लकड़ी फल, फूल तथा बीज का सभी उपयोग होता है।
- इसकी लकड़ी काफी मजबूत होने के कारण दरवाजे-खम्बे श्रादि बनाने हेतु फूल बनाने हेतु फल सब्जी के रूप में तथा बीज तेल निकालने हेतु प्रयुक्त होता है।

शागौन

- इसकी लकड़ी काफी मजबूत और सुन्दर होती है। इसका प्रयोग फर्नीचर, रेल के डिब्बे हवाई जहाज श्रादि के लिए किया जाता है।

सैमल

- इसकी लकड़ी हल्की मुलायम और सफेद होती है। इसका प्रयोग पैकिंग पेटियों, तख्तिया तथा खिलौना बनाने के लिए किया जाता है।
- इसमें रुई का उत्पादन भी किया जाता है।

गम्हार

- इसकी लकड़ी हल्की मुलायम तथा चिकनी होने के साथ-साथ काफी टिकाऊ होती है। जिसका उपयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है।
- लकड़ियों पर नक्काशी की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है।

जामुन

- पानी में भी अत्यधिक दिनों तक खराब नहीं होने का गुण पाये जाने के कारण इसका सर्वाधिक प्रयोग कुओं के आधार के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग फर्नीचर निर्माण हेतु किया जाता है।

शाम

- इसकी सुलभता के कारण इसका प्रयोग फर्नीचर व दरवाजे आदि बनाने के लिए किया जाता है।

कटहल

- इसकी लकड़ी का प्रयोग इमारतों के लिए, इसके फल का उपयोग खाने हेतु किया जाता है।

केन्द

- इसकी लकड़ियों का प्रयोग मुख्य उत्पाद के रूप में तथा इसकी पत्तियों का उपयोग गौण उत्पाद के रूप में किया इसका प्रयोग जाता है। प्रायः गौण उत्पाद के रूप में ही अधिक किया जाता है।

गौण वनीत्यद

लाह

- भारत में कुल लाह उत्पादन का 50% झारखण्ड में उत्पादित किया जाता है। यह लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणी राज्य है।
- लाह की चार किस्में वैशाखी लाह, जेठवी लाह कतही लाह एवं अग्रहनी लाह होती हैं।
- झारखण्ड में कुल लाह उत्पादन का लाह 82% वैशाखी लाह से प्राप्त होता है।
- लाह/लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के 'लक्ष' शब्द से हुई है।

तेन्दु पत्ता

- यह राजस्व प्राप्ति की दृष्टि से झारखण्ड प्रमुख गौण उत्पाद है।
- इसका प्रयोग बीडी एवं तम्बाकू के निर्माण हेतु किया जाता है।
- राज्य में केन्दु पत्ता के प्राथमिक संग्रहकों को केन्दु पत्तों के संग्रहण के बदले उचित मजदूरी के भुगतान हेतु झारखण्ड राज्य केन्दु पत्ता नीति 2015 को अधिसूचित किया गया है।

तश्र रेशम

- तश्र रेशम के उत्पाद की दृष्टि से झारखण्ड का देश में प्रथम स्थान है यहां देश का 60% तश्र रेशम उत्पादित किया जाता है ।
- रेशम के कीड़ों के पालन हेतु झारखण्ड में शाल शहतूत, आसन, अर्जुन आदि वृक्षों का उपयोग किया जाता है ।
- राज्य की राजधानी रांची के नगरी में भारत सरकार द्वारा तश्र अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की गई है।
- झारखण्ड द्वारा झारखण्ड के चार जिलों में रेशम पार्कों की स्थापना की गयी है ।

बांस

- झारखण्ड में जनजातीय समुदायों के द्वारा घरलु सामनों के निर्माण एवं जीविकोपार्जन हेतु बांस का उत्पादन किया जाता है ।
- इसका व्यापारिक उपयोग कागज उद्योग एवं घर निर्माण में किया जाता है ।

झारखण्ड में वन प्रबंधन

- झारखण्ड राज्य में वन प्रबंधन का सर्वप्रथम प्रयास सन् 1882-85 के बीच जे. एफ. हेबिट के द्वारा किया गया था।
- 1909 में बंगाल सरकार द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए एक वन समिति का गठन किया गया ।
- वनों के संरक्षण एवं विकास हेतु राज्य के सभी प्रादेशिकी वन प्रमण्डलों में वन विकास अभिकरण का गठन कर लिया गया है ।
- राज्य के 3,424 वर्ग किमी. क्षेत्र में वनोत्पन्न का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।
- राज्य में 9 लाख हेक्टेयर से अधिक बंजर भूमि पर वन रोपण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है ।
- शहरी क्षेत्र में अवस्थित पार्कों के प्रबंधन हेतु झार-पार्क का गठन किया जाता है ।

वन अधिकांसी अधिनियम, 2006

तथा नियमावली, 2008

- इस अधिनियम के तहत वनवासियों को जंगल की जमीन पर निवास हेतु अधिकांसी प्रदान किए गए हैं जिन्हें निम्न दो तरह से परिभाषित किया गया है ।
 - (1) वन में निवास करने वाली अनुसूचित जनजाति इसके तहत अनुसूचित जनजाति के ऐसे सदस्य या समुदाय होते हैं जो प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते हैं और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर हैं। इसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के चारगाही समुदाय भी शामिल हैं ।
 - (2) अन्य परंपरागत वन निवासी इसके अंतर्गत ऐसा सदस्य जो 13 दिसम्बर 2005 से पूर्व कम से कम तीन पीढ़ियों तक प्राथमिक रूप से वन या वन भूमि में निवास करता रहा है और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर रहा है शामिल है ।

- निवास एवं खेती के लिए जंगल की जमीन पर अधिकार तभी मिलेंगे जबकि अधिनियम में परिभाषित वन निवासियों के द्वारा
 - (क) जंगल की जमीन 13 दिसम्बर, 2005 के पहले से अधिभोग में है।
 - (ख) जंगल की जमीन 13 दिसम्बर 2007 तक अधिभोग में हो।
- अधिनियम में 'वन ग्राम' को परिभाषित किया गया है। 'वन ग्राम' में रहने वाले ग्रामीणों को खेती एवं आवास के लिए वन भूमि पहले से ही वन विभाग के द्वारा दी गयी है। जिसे इस अधिनियम के तहत उन्हें अधिकार मिलना निश्चित है।
- नये कानून में वन भूमि पर वन निवास के अधिकार को अवधारित करने के लिए प्रक्रिया शुरु करने की शक्ति ग्राम सभा को दी गयी है। इस शक्ति का प्रयोग करने के ग्राम सभा की नियामवली 2008 के अनुसार ग्राम सभा का गठन करना है। इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है, इसके लिए ग्राम सभा अपने ही, सदस्यों से एक समिति अलग से गणित करेगी।
- अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 को लागू करने हेतु मूलतः ग्राम सभा को दो तरह से आगे बढ़ना है।
 - वन भूमि पर व्यक्तिगत/सामुदायिक अधिकारों को अवधारित करने की प्रक्रिया शुरु करती है। तथा इसके लिए वन अधिकार समिति का गठन करना है।
 - वन को बचाने में प्राधिकार (शक्ति) पाने के लिए भी अलग से एक समिति (वन सुरक्षा समिति) का गठन करना है।
- वन भूमि पर आवास एवं कृषि के लिए व्यक्तिगत/सामुदायिक स्तर पर जो अधिकार इस कानून में दिए गये हैं, उसके बारे में ग्रामवासियों की वास्तविक स्थिति की जानकारी अवश्य होनी चाहिए -
 - झारखण्ड राज्य के 85 प्रतिशत वन लगभग इसके 13000 राजस्व गाँव में सुरक्षित वन के रूप में है। इन वनों की लकड़ी फूल, फल, बीज पत्ती, लाह लगाने इत्यादि का सामूहिक अधिकार सभी ग्रामवासियों के खलियान में है और वन कानून मान्य है
 - किसी गाँव का कोई भी ग्रामीण प्राथमिक रूप से वनों में निवास करते रहे हैं। और जीविका की वास्तविक आवश्यकताओं के लिए वनों या वन भूमि पर निर्भर नहीं रहे तो उन्हें इस अधिनियम के अनुसार 'वन निवासी' नहीं कहा जाएगा और वन भूमि पर कृषि या आवास के लिए उनका कोई अधिकार नहीं होगा।
- इस अधिनियम में ग्राम सभा को वन बचाओ का भी अधिकार दिया गया है। इसके लिए समिति के माध्यम गणित से ग्रामवासियों को अधिकार भागीदारी एवं सम्मान देने का निर्णय वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या दिनांक 6023 15 नवंबर 2007 में लिया जा चुका है। जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की जानकारी सभी ग्रामवासियों को होनी चाहिए।